प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

पीठ: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 396/1991

रामायण तथा अन्य

बनाम

मध्य प्रदेश राज्य

(अब छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

विचारार्थ

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय श्री न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सही/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध: 8/09/2010

सही/-

सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

गणपूर्ति: माननीय श्री राजीव गुप्ता, मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 396/1991

अपीलकर्ता: 1. रामायण पिता दुहरुआ सतनामी, आयु लगभग 50 वर्ष

2. प्रेमदास पिता नारायण सतनामी, आयु लगभग 35 वर्ष

3. उमेदी पिता रामायण, आयु लगभग 33 वर्ष

4. राजकुमार उर्फ पंथ सतनामी पुत्र रामायण आयु 28 वर्ष

5. मनोहर पिता इतवारी, आयु लगभग 35 वर्ष

सभी निवासी ग्राम गैतारा, पुलिस स्टेशन पलारी, तहसील बलौदाबाजार, जिला रायपुर

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: म.प्र. राज्य (अब छत्तीसगढ़ राज्य)

(दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत दांडिक अपील)

उपस्थित:

श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से।

श्री जे.ए. लोहानी, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

निर्णय

(08.09.2010)

निम्नलिखित न्यायालय का निर्णय माननीय न्यायाधीश सुनील कुमार सिन्हा द्वारा उद्घोषित दिया गया

(1) यह अपील, सत्र न्यायालय क्रमांक 136/88 में तृतीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, रायपुर, शिविर-बलौदाबाजार द्वारा 14 नवम्बर, 1990 को पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

(2) आक्षेपित निर्णय द्वारा अपीलकर्ताओं तथा सह-अभियुक्त अन्जोरदास को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149 (दोनों प्रकरणों में) तथा 307/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा क्रमशः दो वर्ष के लिए सश्रम कारावास, आजीवन कारावास, 100 रुपये का अर्थदंड (दो प्रकरणों में) तथा 7 वर्ष के लिए सश्रम कारावास, 100 रुपये का अर्थदंड की सजा दी गई है, जिसमें निर्देशित किया गया है कि सजांए एक साथ चलाये जाये हेतु।

(3) सह-अभियुक्त अन्जोरदास ने अपने दोषसिद्धि तथा दंड को चुनौती देते हुए एक पृथक अपील दायर की, जो दांडिक अपील क्रमांक 38/91 के रूप में पंजीकृत हुई। अपील की लंबितता के दौरान, अन्जोरदास को 18.12.2002 को "गुरु घासीदास जयंती" के अवसर पर विशेष माफी प्रदान किए जाने के बाद लगभग 14 वर्षों तक कारावास भुगतने के बाद केंद्रीय कारागार, रायपुर से रिहा किया गया। इसलिए, सह-अभियुक्त अन्जोरदास द्वारा दायर की गई अपील को 20.7.2005 को वापसी न लिए जाने के कारण खारिज कर दिया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(4) वर्तमान अपील मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में दायर की गई थी। राज्य के पुनर्गठन के बाद, इसे छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को स्थानांतरित किया गया। जब अपीलकर्ताओं की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, तो इस न्यायालय से उन्हें आदेश जारी किए गए। अपीलकर्ता, को सूचना के बावजूद, इस अपील में अपने प्रतिनिधित्व के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। इसलिए, इस न्यायालय ने 26.8.2010 के आदेश द्वारा श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता की नियुक्ति अपीलकर्ताओं की बचाव करने तथा उनका प्रतिनिधित्व करने के लिए अपील में अधिवक्ता के रूप में की, तथा यह निर्देश दिया गया कि इस अपील में उनकी नियुक्ति को उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति द्वारा नियुक्ति माना जाएगा। श्री सुभाष यादव, अधिवक्ता को 26.8.2010 को पेपर-बुक की प्रति आपूर्ति की गई। उन्होंने तैयारी के लिए स्थगन मांगा, जो उन्हें दिया गया, तथा अंततः अपील को 1.9.2010 को अंतिम रूप से सुना गया।

(5) तथ्य, संक्षेप में, निम्नवत् हैं:

दो मृतक व्यक्ति अर्थात् समयदास तथा हुषणलाल पिता तथा पुत्र थे। रोमनाथ (अ.सा.-1) समयदास का एक अन्य पुत्र है। 30.1.88 को लगभग 7-7:30 पूर्वाह्न पर वे कोठार (फसलों को काटने के लिए एक स्थान) तैयार करने के लिए गए। इस उद्देश्य के लिए, उन्होंने सरकारी भूमि की सफाई करना शुरू किया। यह भूमि अपीलकर्ता-रामायण के कोठार के समीपवर्ती थी। अभियुक्त व्यक्ति-रामायण, प्रेमदास, उमेदी, राजकुमार, मनोहर, अन्जोरदास तथा सुरजबाई अपने कोठार में उपस्थित थे। रामायण तथा अन्जोरदास ने परिवादी पक्ष को उक्त भूमि का उपयोग करने में बाधित किया। रोमनाथ (अ.सा.-1) ने कहा कि यह सरकारी भूमि है तथा वे अपनी फसलों को काटने के बाद इसे खाली कर देंगे। इस पर, अपीलकर्ता रामायण तथा अन्जोरदास उन्हें गाली देना शुरू कर दिया तथा अपने कोठार की ओर लौट गए। आरोप यह हैं कि तत्पश्चात् सभी अभियुक्त व्यक्ति लाठी, डंडा तथा तब्बल के साथ आए तथा रोमनाथ (अ.सा.-1), समयदास तथा हुषणलाल पर आक्रमण करना शुरू कर दिया। अभियोजन के अनुसार, अन्जोरदास तब्बल से सज्जित थे, सुरजबाई कलारी से सज्जित थीं तथा अन्य अभियुक्त व्यक्ति लाठी से सज्जित थे। समयदास तथा हुषणलाल को उन्हें लगी चोटों के कारण अपने प्राण खो दिए। रोमनाथ (आ.सा.-1) को भी गंभीर चोटें प्राप्त हुईं जो जीवन के लिए खतरनाक थीं। अभियोजन का मामला यह है कि अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधि-विरुद्ध जमाव का गठन किया; घातक हथियारों के साथ बलवा में भाग लिया तथा उक्त जमाव के समान आशप उद्देश्य की पूर्ति में समयदास तथा हुषणलाल की हत्या की तथा रोमनाथ (अ.सा.-1) की हत्या का भी प्रयास किया। प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श-पी/1) रोमनाथ (अ.सा.-1) द्वारा दर्ज की गई थी।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

रोमनाथ का परीक्षण डॉ. एम.सी. पटेला (अ.सा.-12) ने किया। रोमनाथ (अ.सा.-1) की मुलाहिजा रिपोर्ट प्रदर्श-पी/31 है। उसे निम्नलिखित चोटें प्राप्त हुईं:-

(i) खोपड़ी के ऊपरी बाईं ओर 2 इंच x 1/4 इंच x 1/4 इंच का एक चीरघाव तथा

(ii) बाईं कंधे पर 3 इंच x 1 इंच का चीरघाव।

चिकित्सक ने यह मत व्यक्त किया कि दोनों चोटें साधारण चोटें थीं। परीक्षण किए जाने पर, चिकित्सक ने आगे यह मत व्यक्त किया कि उपर्युक्त चोटें तब्बल द्वारा कारित की जा सकती थीं तथा अत्यधिक रक्त स्राव की स्थिति में, चोटें मृत्यु का कारण बन सकती थीं। क्वेरी रिपोर्ट दस्तावेज-पी/32 है।

मृतक व्यक्तियों के शव परीक्षण का संचालन डॉ. आर.पी. पांडे (अ.सा.-19) द्वारा किया गया। हुषण लाल की शव परीक्षण रिपोर्ट प्रदर्श-पी/43 है। हुषण लाल को निम्नलिखित बाहरी चोटें प्राप्त हुईं:-

(i) खोपड़ी के दाईं ओर 1 इंच x 1/2 इंच x 1/4 इंच का चीरघाव;

(ii) बाईं कान के पीछे मस्तूल क्षेत्र पर 3 इंच x 3 इंच का अवसादन तथा

(iii) पीठ तथा पेट के क्षेत्र पर 3 इंच से 5 इंच के चोट निशान।

आंतरिक परीक्षण पर, बाईं ओर की टेम्पोरल हड्डी का फ्रैक्चर पाया गया। हड्डी दबा हुआ थी। टेम्पोरल हड्डी के नीचे रक्त का थक्का मौजूद था। शव विच्छेदन सर्जन ने यह मत व्यक्त किया कि मृत्यु का कारण खोपड़ी में चोट थी तथा यह प्रकृति में मानव वध थी ।

समयदास की शव परीक्षण रिपोर्ट दस्तावेज-पी/44 है। समयदास को निम्नलिखित बाहरी चोटें प्राप्त हुईं:-

(i) खोपड़ी के मध्य में 6 इंच x 1 इंच x ½ इंच का चीरघाव। मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल रहा था।

(ii) बाईं जांघ पर 5 इंच x 1/2 इंच x 1/4 इंच का चीरघाव तथा

(iii) कमर के अग्र भाग में नीला पड़ा हुआ था तथा खरोंच।

आंतरिक परीक्षण पर, यह पाया गया कि पारिएटल हड्डी में फ्रैक्चर था, जिसके माध्यम से मस्तिष्क का पदार्थ बाहर निकल रहा था। उपर्युक्त चोटें कठोर तथा तीक्ष्ण वस्तु द्वारा कारित की गई थीं। चोटें मृत्यु से पूर्व की थीं तथा सामान्य क्रम में मृत्यु के लिए पर्याप्त थीं।

(6) अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि रोमनाथ (अ.सा.-1) की गवाही पर आधारित है, जिसे मुदुघिन (अ.सा.-9), शत्रुघ्न (अ.सा.-10) तथा गीता बाई (अ.सा.-11) द्वारा समर्थित किया गया है।

(7) उपर्युक्त चक्षुदर्शियों के अनुसार, विशेषतः घायल चक्षुदर्शियों रोमनाथ (अ.सा.-1), अभियुक्त-अन्जोरदास तब्बल से सज्जित थे तथा अन्य अभियुक्त व्यक्ति लाठी से सज्जित थे। उन्होंने विशेष रूप से गवाही दी कि अन्जोरदास ने समयदास के सिर पर तब्बल से आक्रमण किया। अन्जोरदास ने अपने भाई अर्थात् हुषणलाल को भी तब्बल से आक्रमण किया तथा प्रेमदास ने उन पर लाठी से

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

आक्रमण किया। अन्य अभियुक्त व्यक्तियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध किया गया है क्योंकि उनके विरुद्ध सर्वगाही कथन था।

(8) श्री सुभाष यादव, विद्वान अधिवक्ता, अपीलकर्ताओं की ओर से पेश होकर, यह तर्क दिया कि मुख्य आरोप अन्जोरदास तथा प्रेमदास के विरुद्ध हैं तथा अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध आरोप अस्पष्ट तथा सामान्य प्रकृति के हैं। सभी अभियुक्त व्यक्ति एक ही परिवार के सदस्य हैं; वे अपने बयारे (फसल कटाई करके रखने वाला जगह) में उपस्थित थे; उनके विरुद्ध कोई विशिष्ट आवंटन या प्रकट कार्य नहीं किए गए हैं; यह साबित करने के लिए कोई सकारात्मक साक्ष्य नहीं है कि वे "विधि-विरुद्ध जमाव" के सदस्य थे, इसलिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से उनकी दोषसिद्धि न्यायसंगत नहीं थी।

(9) दूसरी ओर, श्री जे.ए. लोहानी, विद्वान पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से पेश होकर, रोमनाथ (अ.सा.-1) के साक्ष्य का संदर्भ देते हुए इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(10) हमने पक्षों के विद्वान अधिवक्तातों की विस्तार से सुनवाई की है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेख का भी अवलोकन किया है।

(11) हम सबसे पहले श्री सुभाष यादव द्वारा उठाए गए विवाद की जांच करेंगे, कि क्या सभी अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 की सहायता से धारा 149 की सहायता से दोषसिद्ध धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्धि की जा सकती है ।

(12) **मसलती बनाम उत्तर प्रदेश राज्य**, **ए ई आर 1965 एससी 202** में प्रकाशित, सर्वोच्च न्यायालय ने कंडिका-17 में यह माना है कि "एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जो विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य होने का आरोप लगाया जाता है, साबित किया जाना चाहिए कि वह उन व्यक्तियों में से एक था जो जमाव का गठन करते थे तथा वह जमाव के अन्य सदस्यों के साथ भारतीय दंड संहिता की धारा 141 द्वारा परिभाषित समान आशप का पूरा किया था। धारा 142 यह प्रदान करती है कि जो कोई भी, उन तथ्यों से अवगत होते हुए जो किसी भी जमाव को विधि-विरुद्ध जमाव बनाते हैं, जानबूझकर

उस जमाव में शामिल होता है, या उसमें बना रहता है, को विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव जो धारा 141 की पाँच खंडों द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक समान आश्पो से अनुप्रेरित है तथा उसका पूरा करता है, एक विधि-विरुद्ध जमाव है। ऐसे मामले में निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या जमाव में पांच या अधिक व्यक्ति शामिल थे तथा क्या उक्त व्यक्तियों ने धारा 141 द्वारा निर्दिष्ट एक या अधिक समान-आश्प को पूरा करना है । इस प्रश्न का निर्धारण करते समय, यह प्रासंगिक हो जाता है कि क्या जमाव में कुछ व्यक्ति केवल निष्क्रिय दर्शक थे तथा उन्होंने जमाव में शामिल हुये थे । क्योंकि वे बेमतलब कौतूहल के साथ जमाव के समान आशप को पूरा करने के इरादे के बिना।"

(13) उपर्युक्त निर्णय को ध्यान में रखते हुए तथा कई अन्य निर्णयों को, सर्वोच्च न्यायालय ने **पांडुरंग चंद्रकांत म्हात्रे तथा अन्य बनाम महाराष्ट्र राज्य**, **(2009) 10 एस सी सी 773** में प्रकाशित में यह माना है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 149 के दो अवयव हैं (i) विधि-विरुद्ध जमाव के सदस्यों द्वारा अपराध की कारित करना; तथा (ii) ऐसा अपराध उस जमाव के समान आशप की के अभियोजन चाहिए, या ऐसा होना चाहिए जैसा कि जमाव के सदस्यों को संभव्य होना ज्ञात हो। समान आशप का निर्धारण करने के लिए, विधि-विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आक्रमण से पहले तथा समय में आचरण प्रासंगिक विचार है; विधि-विरुद्ध जमाव का उद्देश्य एक प्रश्न का विषय है, जिसका निर्धारण जमाव की प्रकृति, सदस्यों द्वारा वहन किए गए हथियार, तथा घटना के स्थान पर या निकट सदस्यों के व्यवहार को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

(14) **सिकंदर सिंह तथा अन्य बनाम बिहार राज्य**, **2010 ए ई आर एस सी डबल्यू 4426** में प्रकाशित, में सर्वोच्च न्यायालय ने यह माना है कि समान आशप को आक्रमण से पहले किसी पूर्व समझौते तथा मानसिकता का सामान्य मिलन की आवश्यकता नहीं है। यह पर्याप्त है यदि प्रत्येक सदस्य का समान उद्देश्य है तथा सभी उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जमाव में कार्य करते हैं। समान आशप का निर्धारण सदस्यों के कार्यों तथा भाषा से तथा सभी परिवेशीय परिस्थितियों के विचार से किया जाना चाहिए। समान आशप का निर्धारण करने के लिए, विधि-विरुद्ध जमाव के प्रत्येक सदस्य का आक्रमण से पहले तथा समय में आचरण तथा अपराध की प्रेरणा कुछ प्रासंगिक विचार हैं।

(15) यह इन सिद्धांतों पर है कि हम अपीलकर्ताओं के मामले की, विशेषतः अपीलकर्ता क्रमांक 1, 3, 4 तथा 5 की जांच करते हैं, विशेषतः भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से उनकी दोषसिद्धि को बनाए रखने के लिए। रोमनाथ (अ.सा.-1) के अनुसार, अपीलकर्ता अपने बयारे में अपनी धान की फसल को मिसाई रहे थे। जब रोमनाथ, उसके पिता समयदास तथा उसके भाई-हुषणलाल वहां आए तथा उन्होंने पास की सरकारी भूमि की सफाई करना शुरू किया, तो अपीलकर्ताओं ने उन्हें बाधित किया। रोमनाथ ने उन्हें कहा कि वे अपनी फसलों को मिसाई के बाद उस भूमि को खाली कर देंगे। इस पर, अभियुक्त व्यक्ति लाठी, तब्बल तथा कलारी (एक कृषि उपकरण) के साथ वहां आए, तथा अन्जोरदास ने समयदास पर तब्बल से आक्रमण किया। उसने हुषणलाल पर भी तब्बल से आक्रमण किया। अन्जोरदास ने उसी पर भी आक्रमण किया। प्रेमदास ने भी उसी पर आक्रमण किया। तब, वह तुरंत सरपंच के पास गया तथा उसे यह कहानी सुनाई। तत्पश्चात कोटवार रामदयाल (अ.सा.-4), सरपंच-सुखनंदन (अ.सा.-3), सुखीराम (अ.सा.-2), धनराम (अ.सा.-6) वहां आए तथा उन्होंने पाया कि मुख्य हमलावर अर्थात् अन्जोरदास तथा प्रेमदास घटनास्थल से भाग गए थे तथा अन्य अभियुक्त व्यक्ति अपने बयारे में काम कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोटवार रामदयाल (अ.सा.-4) ने गवाही दी कि दुर्भाग्य पूर्व दिन लगभग 7-8:00 पूर्वाह्न पर रोमनाथ घायल स्थिति में अपने घर आया। जब उसने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने कहा कि अन्जोरदास तथा प्रेमदास ने उसके पिता तथा भाई की हत्या कारित की है। सुखनंदन (अ.सा.-3), जिसे रोमनाथ (अ.सा.-1) ने पहली बार खुलासा किया था, ने अपनी प्रति-परीक्षा में यह भी स्वीकार किया कि जब रोमनाथ उसके पास आया तो उसने केवल यह कहा कि अभियुक्त अन्जोरदास तथा प्रेमदास ने हमला में भाग लिया है, इसलिए उसे उसके साथ रिपोर्ट दर्ज करने के लिए जाना चाहिए क्योंकि वह भयभीत था। एक अन्य आ.सा. धनराम (अ.सा.-6) ने भी गवाही दी कि सुबह रोमनाथ उसके घर आया; वह घायल स्थिति में था; उसने कहा कि अन्जोरदास ने उसे तब्बल से आक्रमण किया है तथा उसने यह भी कहा कि अन्जोरदास तथा प्रेमदास ने उसके पिता तथा भाई की हत्या कारित की है।

(16) इन साक्षियों के साक्ष्य की विवेचन में, हम यह पाते हैं कि अन्जोरदास तथा प्रेमदास ने मृतक व्यक्तियों की हत्या कारित करने में भाग लिया था तथा घायल-रोमनाथ पर हमला में भाग लिया था। यदि अन्य अपीलकर्ताओं ने कोई भाग लिया होता, तो रोमनाथ ने उन तीन साक्षियों को इसके बारे में बताया होता, जिनके पास वह मामले की रिपोर्ट दर्ज करने के लिए गया था, क्योंकि वे गांव के सरपंच

तथा कोटवार थे। रोमनाथ ने घटना के समय इन साक्षियों को अन्य अपीलकर्ताओं की उपस्थिति के बारे में कोई फुसफुसाहट भी नहीं की।

(17) कानून में, पांच या अधिक व्यक्तियों का एक जमाव "विधि-विरुद्ध जमाव" कहा जाएगा यदि उस जमाव को गठित करने वाले व्यक्तियों का समाज आशप भारतीय दंड संहिता की धारा 141 में वर्णित एक या अधिक होगा। वर्तमान प्रकरणों में, अपीलकर्ता सुबह से अपने बयारे में काम कर रहे थे। वे अपनी धान की फसल को मिसाई कर रहे थे तथा परिवादी पक्ष बाद में वहां पहुंचा। यदि हम उनके कार्यों तथा भाषा तथा सभी परिवेशीय परिस्थितियों पर विचार करते हैं, तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उन्होंने बिल्कुल भी विधि-विरुद्ध जमाव का गठन किया। उनके आचरण से यह दिखाई देगा कि वे अपने बयारे में अपनी धान की फसल को मिसाई कर रहे थे तथा समग्र चित्र यह है कि जब परिवादी पक्ष ने सरकारी भूमि की सफाई करने का प्रयास किया, तो अभियुक्त पक्ष के दो सदस्य अर्थात् अन्जोरदास तथा प्रेमदास परिवादी पक्ष के साथ झगड़े में पड़ गए, तथा वे मृतक व्यक्तियों तथा रोमनाथ (अ.सा.-1) पर हमला किया। इसलिए, हमारे विचार से, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने यह अभिनिर्धारित करते हुए थे, जब करते हुए विधि में त्रुटि कारित किया की अभियुक्त व्यक्तियों ने एक विधि-विरुद्ध जमाव का गठन किया था तथा अभियुक्त व्यक्तियों ने बलवा में भाग लिया था तथा विधि-विरुद्ध जमाव के समान आशप में अग्रसर होकर में मृतक व्यक्तियों की हत्या की तथा घायल आ.सा. पर हमला किया। यह एक ऐसा मामला था जिसमें अभियुक्त पक्ष के परिवार के सदस्य शुरुआत से घटनास्थल पर मौजूद थे तथा परिवादी पक्ष के साथ कहा-सुनी पर दो व्यक्तियों ने परिवादी पक्ष के साथ झगड़े में पड़ गए, तथा यह घटना हुई। केवल अन्य व्यक्तियों की उपस्थिति, जो अपने बयारे में काम कर रहे थे, उन्हें विधि-विरुद्ध जमाव का सदस्य नहीं बनायेगा । इसलिए, हमारे विचार से, अपीलकर्ता क्रमांक 1, 3, 4 तथा 5 की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 149 की सहायता से स्थिर नहीं रखा जा सकता है ।

(18) जहांतक अपीलकर्ता प्रेमदास के प्रकरण का संबंध है । यह दिखाने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है कि वह अन्जोरदास के साथ समयदास तथा हुषणलाल की हत्या कारित करने में भाग लिया था। वे रोमनाथ (अ.सा.-1) पर भी हमला करते थे। इसलिए, वे भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 के अंतर्गत दंड के लिए उत्तरदायी होंगे (दोनों प्रकरणों में)।

(19) जहाँ तक भारतीय दंड संहिता की धारा 307/34 के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, यह रोमनाथ (अ.सा.-1) की मुलाहिजा प्रतिवेदन के प्रकाश में स्थिर नहीं रखी जा सकती है, जिसमें

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

चिकित्सक द्वारा स्पष्ट रूप से उल्लेखित किया गया है कि रोमनाथ को साधारण चोटें आई हैं। इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 307/149 के अंतर्गत उनकी दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए तथा वे भारतीय दंड संहिता की धारा 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध के लिए उत्तरदायी होंगे ।

(20) पूर्वगामी कारणों के लिए, अपील आंशिक रूप से स्वीकृत की जाती है। अपीलकर्ता क्रमांक 1-रामायण, क्रमांक 3-उमेदी, क्रमांक 4-राजकुमार उर्फ पंथ सतनामी, तथा क्रमांक 5-मनोहर को दी गई दोषसिद्धि तथा सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149 (दो प्रकरणों में) तथा 307/149 के अंतर्गत अपास्त किया जाता है। उन्हें उनके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है ।

(21) अपीलकर्ता क्रमांक 2-प्रेमदास को दी गई दोषसिद्धि तथा सजा को भारतीय दंड संहिता की धारा 148, 302/149 (दो प्रकरणों में) तथा 307/149 के अंतर्गत भी अपास्त किया जाता है। इसके स्थान पर, अपीलकर्ता क्रमांक 2-प्रेमदास को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 (दो प्रकरणों में) तथा 323/34 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया जाता है तथा आजीवन कारावास (दो प्रकरणों में) तथा एक वर्ष के कारावास भुगतने के लिए दंडित किया जाता है। यह अग्रिम निर्देश दिया जाता है कि अपीलकर्ता क्रमांक 2-प्रेमदास को दी गई उपर्युक्त सजा साथ-साथ से चलेगी तथा वह पहले से भुगती हुई अवधि को मुजहाई (प्रतिसादन) करने के लिए हकदार होगा। यह कहा जाता है कि अपीलकर्ता जमानत पर हैं। उनकी जमानत पग निरस्त की जाती हैं तथा प्रतिभूति को उन्मोचित किया जाता है। अपीलकर्ता क्रमांक 2 को तुरंत निर्देशित किया जाता है कि वह अपने ऊपर अधिरोपित सजाओं को भुगतने के लिए समर्पण करे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/- **सही/-**

मुख्य न्यायाधीश **सुनील कुमार सिन्हा**

न्यायाधीश **न्यायाधीश**

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By Shaantam Patil

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur